

पहचान



Raveena Bariha,
Writer,
National Consultant Govt. of India



Madhubal Kinnar
Mayor, Raigarh



Dujan Bai Dinesh
Pandwani, Singer



Katyayani Vishnupriya
Advocate



Veena Sendre
Miss Trans Queen



Dr. Hirock
Beautician



Nandini Nayak
Teacher



Bhairavi Amrani
Vastu Consultant



नौकरी में भी न्याय

तृतीय लिगा समुदाय के अग्रणी यशपाला और शिखर

23 अक्टूबर को नौकरी के लिए... 13 अक्टूबर को नौकरी के लिए...

लव स्टोरी पर बेस्ट मूवी प्रेमयुद्ध में लीड रोल में नजर आएंगी ट्रांसक्वीन वीणा, शूटिंग पूरी, जून में होगी रिलीज

स्टीव रिपेटो, रायपुर

देस की पहली ट्रांसक्वीन का विवाह जैतने वाली रायपुर की वीणा से जल्द ही छत्तीसगढ़ी मूवी में एडिटिंग की फ्रीड में डेब्यू करने नजर आएंगी। लव स्टोरी पर बेस्ट मूवी प्रेमयुद्ध में वीणा लीड रोल में दिखेंगी। सुमन मिश्र निर्देशित इस फिल्म में वीणा के अग्रणी वीणा कुमार लीड रोल में दिखेंगी। मूवी में एक्शन और सस्पेंस भी है। एक्शन सीन शूट करने के लिए हिराबाद के फास्ट मास्टर की मदद ली गई है। मूवी में टांचर का गैल निभ रही वीणा स्टार करती भी नजर आएंगी। शूटिंग के दौरान कुछ एक्शन डेजमेंट वन टैग में हो कर लिखा वीणा ने बताया, फिल्म गांव में रहने वाले एक लड़के और शहर की लड़की को लव स्टोरी पर बेस्ट है। गांव का लड़का काम के सिलसिले में शहर आता है। उसे शहर की एक स्कूल टांचर से प्यार हो जाता है। इसके बाद एक्शन और सस्पेंस के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। जनवरी में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, जो फरवरी में पूरी हुई। थर्ड पार्ट की मूवी में छह गांव हैं। मूवी 25 अंश की मस्टरपेस और सिंगल स्क्रीन फिटर में रिलीज होगी।



शूटिंग के दौरान वीणा (सेंटर में)

ट्रांसजेंडर्स के स्ट्रगल पर बनाई डॉक्यूमेंट्री, दादा साहब फाल्के और जर्मनी फेस्ट में होगी स्क्रीनिंग

शहर के अतिथि बयनकर ने बनाई डॉक्यूमेंट्री 'फेरी टू होमोसैपिंट', दो बर्षों फेस्ट में दिखाई जा रही

डॉक्यूमेंट्री के स्ट्रगल पर बनाई डॉक्यूमेंट्री 'फेरी टू होमोसैपिंट' दो बर्षों फेस्ट में दिखाई जा रही

डॉक्यूमेंट्री के स्ट्रगल पर बनाई डॉक्यूमेंट्री 'फेरी टू होमोसैपिंट' दो बर्षों फेस्ट में दिखाई जा रही



डॉक्यूमेंट्री के स्ट्रगल पर बनाई डॉक्यूमेंट्री 'फेरी टू होमोसैपिंट' दो बर्षों फेस्ट में दिखाई जा रही



डॉक्यूमेंट्री के स्ट्रगल पर बनाई डॉक्यूमेंट्री 'फेरी टू होमोसैपिंट' दो बर्षों फेस्ट में दिखाई जा रही

डोर... जो लैगिंग भेदभाव से दूर बंधी हुई है स्नेह और विश्वास से

प्रदेश से रहने से, स्नेह से बना रिश्ता बनाया का रिश्ता

डोर... जो लैगिंग भेदभाव से दूर बंधी हुई है स्नेह और विश्वास से

6वीं से 8वीं तक बच्चे पढ़ेंगे 'लैंगिक शोषण'

बर्ड जेंडर के संरक्षण के लिए डॉ. होला पीटर, सुप्रोम कॉर्ट का आदेश

बर्ड जेंडर के संरक्षण के लिए डॉ. होला पीटर, सुप्रोम कॉर्ट का आदेश

सुशासन के लिए सड़क पर उतरे थर्ड जेंडर

रायपुर, शनिवार को थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने फूल चौक, जयसंत चौक, शास्त्री चौक, भात सिंह चौक समेत कई चौराहों पर झंडे बैनर के साथ सभा में अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। छत्तीसगढ़ मितवा

मैं तो अपनी सजनी के द्वार चला रे...

ट्रांसजेंडर से मिली अमेरिकी दूतावास की टीम जाँव और स्किल डेवलपमेंट में करेंगे मदद

स्टीव रिपेटो, रायपुर

ट्रांसजेंडर से मिली अमेरिकी दूतावास की टीम जाँव और स्किल डेवलपमेंट में करेंगे मदद

सांझ में ट्रांसजेंडर्स की प्रतिभा ने किया अर्चमि

अधिकारी देगे योजना की जानकारी

सांझ में ट्रांसजेंडर्स की प्रतिभा ने किया अर्चमि

INFORMATION EDUCATION COMMUNICATION MATERIAL
FOR

MASTER TRAINERS & TEACHERS OF THE STATE COUNCIL
OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING CHHATTISGARH

ON THE SUBJECT OF

LGBTQIA+



Supported by-

THE HUMSAFAR TRUST

3rd Floor, Manthan Plaza, Nehru road, Vakola, Santacruz (East), Mumbai -
400055

In Collaboration with -

CHHATTISGARH MITWA SANKALP SAMITI

Address - Transgender Shelter Home, Near Krishna Public School, Sarona, Raipur

पठन सामग्री (IEC material)

शिक्षकों के साथ **LGBTQIA+** तथा उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के मुद्दों पर संवेदनशीलता व जागरुकता हेतु पठन सामग्री



प्रस्तावना — भारत में तृतीय लिंग समुदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे उभयलिंगी व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, तृतीय पंथी, किन्नर, कोती व तृतीय प्रकृति आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में तृतीय लिंग समुदाय के लिए अनेक स्थानीय नाम भी हैं जैसे तमिलनाडु में अरावनी व तिरुलंगई, पंजाब में खुसरो, उत्तर भारत में किन्नर व कोती, महाराष्ट्र में तृतीय पंथी आदि। इसके साथ ही साथ अनेक सांस्कृतिक नामों से भी समुदाय के लोगों को संबोधित किया जाता है जैसे शिवशक्ति, जोगप्पा, व सखी आदि। भारत सरकार द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों में इंग्लिश में “ट्रांसजेंडर” व हिन्दी में “उभयलिंगी व्यक्ति” उल्लेखित किया गया है।

परिभाषा : उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 2 (अ) के अनुसार— “ट्रांसजेंडर व्यक्ति (उभयलिंगी व्यक्ति) ” वह व्यक्ति है, जिसकी लैंगिक अभिव्यक्ति, जन्म के समय उस व्यक्ति को दिए गए जैविक लिंग से मेल नहीं खाता है । इसके अंतर्गत ट्रांस-मैन या ट्रांस-महिला (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी कराया हो अथवा नहीं कराया हो) । शामिल हैं। इसके अलावा इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर, हिंजड़ा, जोगता, जोगप्पा, सखी, शिव-शक्ति व अरावणी भी शामिल हैं। इसी तरह इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति भी ट्रांसजेंडर के अंतर्गत शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसोम या हारमोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्न होते हैं।

1. ट्रांसजेंडर का वर्गीकरण

ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) शब्द एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत समुदाय को भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है।

1. ट्रांस-पुरुष

एक व्यक्ति जिसका जैविक लिंग महिला का है, लेकिन वह अपनी लैंगिक अभिव्यक्ति पुरुष के रूप में पहचान करता है (यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति लिंग परिवर्तन सर्जरी किया हो अथवा नहीं किया हो) , ट्रांस पुरुष है।

2. ट्रांस-महिला

एक व्यक्ति जिसका जैविक लिंग पुरुष है, लेकिन वह अपनी लैंगिक अभिव्यक्ति महिला के रूप में पहचान करता है। (यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति लिंग परिवर्तन सर्जरी किया हो अथवा नहीं किया हो) , ट्रांस महिला है।

3. जेंडर क्वीर –

कुछ व्यक्तियों के लिए ट्रांसजेंडर का मतलब एक लिंग से दूसरे लिंग में जाना समझते हैं, सामान्यतः इन्हें ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष कहा जाता है। लेकिन इस ट्रांसजेंडर समूह में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं, जो पुरुष और महिला के लिंग के सीमा की धारणा का पालन नहीं करने वाले शब्दों को चुनना पसंद करते हैं। वे जेंडर नियम को कठोरता से पालन करना नहीं चाहते वे लिंग पहचान को संदर्भित करने के लिए जेंडरक्वीर शब्द का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं।

4. किन्नर या हिजड़ा

हिजड़ा / किन्नर महिलाओं के रूप में अपना जीवन जीते हैं या तीसरे लिंग से संबंधित होने की पहचान कर सकते हैं। वे सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये अक्सर अपने गुरु के साथ समूह में रहते हैं। अधिकांश इस समूह के ट्रांसजेंडर त्योहारों और शुभ अवसरों पर दान मांगने या नृत्य के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं।

5. इंटरसेक्स (अंतरलिंग भिन्नता वाला व्यक्ति)

वह व्यक्ति जो जन्म के समय पुरुष या महिला शरीर के मानक प्राथमिक यौन विशेषताओं, बाहरी जननांग, गुणसूत्र या हार्मोन में भिन्नता दिखाता है जो इंटरसेक्स व्यक्ति या अंतरलिंग भिन्नता वाला व्यक्ति कहलाता है।

2. लिंग (सेक्स व लिंगभाव, सेक्सुअलिटी के आधारभूत अवधारणा

हर इंसान की एक लैंगिक पहचान होती है – यह पुरुष, महिला, या कुछ होने की गहराई से महसूस की जाने वाली भावना इसे समझने के लिए हमें व्यक्तित्व के तीन अन्य आयामों को समझना होगा, जिन्हें हम सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी कहते हैं।

3. सेक्स (Sex) – जब आप पैदा हुए थे, तो डॉक्टर या दाई ने आपके शरीर की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर आपको एक लिंग के पहचान को निर्धारित किया था। यह आपकी जैविक लिंग की पहचान है। इसे प्राकृतिक या जैविक लिंग कहते हैं। अधिकांश लोगों को उनके बाहरी जननांग के आधार पर पुरुष या महिला के रूप में पहचान की जाती है।



4. लिंग भाव (Gender) – यह एक ऐसा शब्द है जो पुरुष या महिला होने से जुड़े सामाजिक या सांस्कृतिक भेदों को संदर्भित करता है। लिंग पहचान वह सीमा है जिससे कोई व्यक्ति या तो पुल्लिंग या स्त्रीण होने की पहचान करता है। एक व्यक्ति का लिंग, जो उसे प्रकृति द्वारा निर्धारित किया जाता है, हमेशा उसके लिंगभाव के अनुरूप नहीं होता है। इसलिए, लिंग और लिंगभाव शब्द समानार्थी नहीं हैं। अधिकांशतः पुरुष जननांग के साथ पैदा होने वाले बच्चे की पहचान पुरुष के रूप में की जाएगी, ऐसा हम मानते हैं लेकिन जैसे-जैसे वह बढ़ता है, वह अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से स्त्री संबंधी पहलुओं के साथ अपनी पहचान बना सकता है।

जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करना सीखते हैं। इस समाजीकरण प्रक्रिया में, बच्चों को कुछ ऐसी भूमिकाओं से परिचित कराया जाता है जो आमतौर पर उनके जैविक सेक्स से जुड़ी होती हैं। लिंगभाव शब्द, समाज की अवधारणा को दर्शाता है कि पुरुषों और महिलाओं को किस तरह के कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए।

ये भूमिकाएं समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों, या मानकों पर आधारित होती हैं। जेंडर रोल लर्निंग की शुरुआत जन्म के समय समाजीकरण से होती है। आज भी, हमारा समाज नर शिशुओं को नीले रंग में और लड़कियों को गुलाबी रंग में पहचान कराता है। यहां तक कि बच्चा यदि गर्भ में है तो भी इन रंग-कोडित सेक्स लेबलों से उनकी पहचान जाहिर की जाती है।

अधिकांशतः बच्चे खेल के माध्यम से लैंगिक भूमिकाएँ सीखते हैं। माता-पिता आमतौर पर लड़कों को ट्रक, टॉय गन और सुपर हीरो सामग्री प्रदान करते हैं, जो कि सक्रिय खिलौने हैं, जो मोटर कौशल, आक्रामकता और उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं। लड़कियों को अक्सर गुड़िया और ड्रेस-अप परिधान दिए जाते हैं जो पोषण, सामाजिक निकटता और पारिवारिक जिम्मेदारी की भूमिका निभाने को बढ़ावा देते हैं। समाज में जेंडर की भूमिका को बनाए रखने के लिए लोगों ने हमारी गतिविधियों, हमारी रुचि, हमारे खेल-खिलौने, हमारे कपड़े और हमारी भाषा के व्याकरण को लिंग भूमिका में विभाजित कर दिया है।

बहुत सारी समस्याएं उन लोगों के साथ शुरू हुईं जो समाज द्वारा बनाई गई इस लिंग संरचना के उपयुक्त नहीं होते हैं। एक समुदाय है जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जैविक लिंग के विपरीत भूमिका से अपनी पहचान करते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर पुरुषों का समाज के स्त्रैण पहलुओं से इतना मजबूत भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संबंध होता है कि वे अपने लिंग को महिला के रूप में पहचान करते हैं।

3. यौनिकता के मुख्य वर्गीकरण

Heterosexual- जब एक पुरुष प्यार, शादी या सेक्स के लिए किसी महिला के प्रति या एक महिला प्यार, शादी या सेक्स के लिए किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसे Heterosexual (हेट्रोसेक्शुअल) या (स्ट्रेट) कहा जाता है।

Lesbian – जब एक महिला प्यार, शादी या सेक्स के लिए किसी पुरुष की ओर आकर्षित न होकर किसी महिला के प्रति ही आकर्षित होती है तो उसे Lesbian (लेस्बियन) कहा जाता है। लेस्बियन में भी पहले दो अलग-अलग लैंगिक पहचान मानी जाती थी एक Butch और दूसरी femme। ऐसा माना जाता था कि दो लेस्बियन में एक की चाल-ढाल, पहनावा और व्यवहार पुरुषों की तरह का होगा। उनके लिए Butch टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। और एक पार्टनर के बारे में माना जाता था कि उसके अंदर महिलाओं वाली विशेषता होगी जिसके लिए femme टर्म का इस्तेमाल किया जाता था।



Gay - जब एक पुरुष किसी महिला की ओर आकर्षित न होकर पुरुष की ओर ही आकर्षित होता है, उनको gay (गे) कहा जाता है। वैसे एक गे ऐसी टर्म है जिसका इस्तेमाल Heterosexual को छोड़कर अन्य लैंगिक पहचान के लिए एक अंब्रेला टर्म के तौर पर भी होता है।



Bisexual . ये लोग किसी भी लिंग (स्त्री या पुरुष) के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसे यूं समझें कि अगर एक पुरुष की दिलचस्पी महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के साथ संबंध बनाने में भी हो सकती है। यही महिलाओं के साथ भी है। ऐसे संबंध को Bisexual (बाईसेक्शुअल) कहा जाएगा।

Queer & Questioning - ये वे लोग होते हैं जो किसी जेंडर अथवा यौनिकता के दायरे में नहीं रहना चाहते हैं। अपने बारे में तय नहीं कर पाते हैं कि उनका आकर्षण पुरुष की ओर है या फिर स्त्री, उनके अंदर स्त्री वाले गुण हैं या फिर पुरुष वाले। ऐसे लोगों के लिए Queer (क्विअर) का इस्तेमाल होता



4. एलजीबीटी अधिकार व भारतीय दंड संहिता की धारा 377

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे न सिर्फ सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को झटका लगा बल्कि एक बड़े वर्ग को प्यार करने की आजादी मिल गई। दरअसल, कोर्ट ने दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया। इसी के साथ अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं भारतीय दंड संहिता ;आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसके तहत एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। क्या है यह धारा और कैसे इसके खिलाफ जंग छेड़ी गई, आइए जानते हैं....

अंग्रेजों की देन है धारा 377

आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया और कहा गया कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। दशकों तक इसे अपराध माना गया और इस वजह से समलैंगिक समाज अपनी भावनाओं का गला घोटता रहा। दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में लेस्बियन (दो महिलाओं के बीच) संबंध कभी अवैध नहीं माने गए और पुरुषों के बीच समलैंगिक संबंधों को कुछ शर्तों के साथ 1967 से ही वैध माना जाने लगा था, जबकि भारत को इंग्लैंड से आजादी मिलने के 70 साल बाद जाकर इस धारा से आजादी मिल सकी।

पहली कोशिश को दिल्ली HC ने किया खारिज

इसे लेकर विरोध तो होता रहा लेकिन कानूनन इसे रास्ते से हटाने के लिए पहली कोशिश साल 2001 में की गई। नाज फाउंडेशन और । IDS भेदभाव विरोध आंदोलन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस कलोनियन ऐक्ट को चुनौती दी। हालांकि, कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और संबंधों की वैधता के अधिकार को हासिल करने की लड़ाई और लंबी हो गई।

...जब कोर्ट ने माना संविधान का उल्लंघन है धारा 377

पहली सफलता हाथ तब आई जब साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ही जेंडर के दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को वैध करार दिया। कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना। आपको बता दें कि आर्टिकल 14 व्यक्ति को कानून के आगे समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध और आर्टिकल 21 निजी आजादी और जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है।

फिर SC ने दिया झटका

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से कुछ साल के लिए आजादी का एहसास हुआ लेकिन साल 2013 में कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि कानूनी रूप से इसकी रक्षा नहीं की जा सकेगी। नाज फाउंडेशन ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया।

ट्रांसजेंडर्स को मिली नई पहचान

अब तक समाज में अपनी पहचान बनाने और अपने अधिकारों को हासिल करने का इरादा बना चुका समाज एक-एक कदम आगे बढ़ने लगा था। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे जेंडर का दर्जा देकर अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया। साल 2016 में एक बार फिर एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर) ऐक्टिविस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि धारा 377 से उनको पार्टनर चुनने की आजादी, जीवन, निजता, सम्मान और समानता के साथ ही संविधान के पार्ट-III के तहत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

निजता के अधिकार का अहम हिस्सा

कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए एक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया और साथ ही, सेक्सुअल ओरियंटेशन को निजता का अहम हिस्सा माना। इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2018 में धारा 377 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनना शुरू किया और एक ऐसे फैसले की ओर कदम बढ़ाए जो इतिहास बदलने वाला था।

और यूं मिली आजादी

इसी साल, यानी 6 सितंबर 2018 को कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को वैध करार देते हुए कहा कि सेक्सुअल ओरियंटेशन प्राकृतिक होता है और लोगों का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। हालांकि, कोर्ट ने नाबालिगों, जानवरों और बिना सहमति के बनाए गए संबंधों पर इस प्रावधान को लागू रखा है। फैसला देते हुए जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने यहां तक कहा कि समाज को LGBTQ और उनके परिवारों से उन्हें इतने साल तक समान अधिकारों से वंचित रखने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ भारतीय संविधान ने सदियों पुरानी बेड़ियां काटकर प्यार करने वालों को समाज में सिर ऊंचा करने का अधिकार दे दिया...

Supreme Court Judgement
on Section 377
in the Indian Penal Code

LEGODESK



5. उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के अधिकारों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा-निर्देश

उभयलिंगी व्यक्ति (ट्रांसजेंडर) के कल्याण के लिए भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल 2014 को दिया गया था। उल्लेखनीय है कि ये निर्देश उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं—

1. देश में महिला व पुरुष के समान तृतीय लिंग को भी संवैधानिक व कानूनी दर्जा प्रदान किया जाता है।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वेच्छा से अपने लिंग का निर्धारण महिला, पुरुष व तृतीय लिंग के रूप में कर सकता है तथा राज्य व केन्द्र सरकार इसे कानूनी मान्यता प्रदान करेगा।
3. तृतीय लिंग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जावेगा तथा उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नियुक्तियों में तदनुसार आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।
4. तृतीय लिंग के व्यक्तियों की अनेक यौन-स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिसके लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके लिए पृथक एचआईवी सिरों सरविलियेन केन्द्र/कक्ष स्थापित की जावे।
5. तृतीय लिंग के व्यक्ति भय, संकोच, सामाजिक दबाव, ड्रीपप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्तियां सामाजिक बहिष्कार आदि के शिकार होते हैं। इन पर लिंग प्रमाणिकरण आदि के लिए दबाव बनाना अनैतिक और अवैधानिक होगा।
6. नगरीय निकायों द्वारा निर्मित की जाने वाली भवनों में तथा सार्वजनिक भवनों को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान अनिवार्य रूप से हो।
7. तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं बनाई जावे।
8. निकायों को जन-जागरण अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग के समुदाय को अछूत न माना जावे तथा उन्हें समाज में सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हो।
9. निकायों को अपने स्तर पर यथासंभव पहल करनी होगी ताकि तृतीय लिंग के समुदाय को हमारी प्राचीन संस्कृति और सामाजिक जीवन में प्राप्त सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।
10. तृतीय लिंग समुदाय हेतु लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क किया जाना चाहिए।

6. भारत में उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) हेतु सशिक्षितकरण के लिए कानूनी उपाए

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भारत सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक बनाने के दिशा में सक्रियता से कदम उठाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावरचंद गहलौत ने 19 जुलाई, 2019 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 पेश किया। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा और संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा 26 नवंबर 2019 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने 5 दिसंबर 2019 को इसे मंजूरी दी थी, जिस पर अधिनियम को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इसे 10 जनवरी 2020 से उसी दिन राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा लागू कर दिया गया है।

इस कानून के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है—

उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति की परिभाषा : इस कानून के अनुसार उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंगभाव(लैंगिक अभिव्यक्ति) जन्म के समय नियत जैविक लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांसमेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर, हिंजड़ा, जोगता, जोगप्पा, सखी, शिव-शक्ति व अरावणी भी शामिल हैं। इसी तरह इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्ति भी ट्रांसजेंडर के अंतर्गत शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, **क्रोमोसोम** या हारमोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्न होते हैं।

भेदभाव पर प्रतिबंध: यह अधिनियम उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल है: (क) शिक्षा, (ख) रोजगार, (ग) स्वास्थ्य सेवा, (घ) सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच और उसका उपभोग, (च) कहीं आने-जाने (मूवमेंट) का अधिकार (छ) किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराये पर लेने, स्वामित्व हासिल करने या अन्यथा उसे कब्जे में लेने का अधिकार, (ज) सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर, और (झ) किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा की जाती है।

निवास का अधिकार: प्रत्येक उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति को अपने परिवार में रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार है। अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का निकट परिवार उसकी देखभाल करने में अक्षम है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र में भेजा जा सकता है।

रोजगार: कोई सरकारी या निजी संस्था रोजगार से जुड़े मामलों, जैसे भर्ती, पदोन्नति इत्यादि, में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकती। अगर संस्था में 100 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक्ट के तहत मिलने वाली शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

शिक्षा: सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान भेदभाव किए बिना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करेंगे।

स्वास्थ्य सेवा: सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी जिसमें अलग एचआईवी सर्विलेंस सेंटर, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इत्यादि शामिल है। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उन्हें समग्र चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करेगी।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट: एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मेजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। संशोधित सर्टिफिकेट तभी हासिल किया जा सकता है, अगर उस व्यक्ति ने पुरुष या महिला के तौर पर अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराई है।

सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय: अधिनियम कहता है कि संबंधित सरकार समाज में उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव (रेस्क्यू) एवं पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी, ट्रांसजेंडर संवेदी योजनाओं का सृजन करेगी और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।

अपराध और दंड: यह कानून निम्नलिखित कृत्यों को अपराध के रूप में मान्य करता है: (क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भीख मंगवाना, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना (इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा शामिल नहीं है), (ख) उन्हें सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, (ग) उन्हें परिवार, गांव इत्यादि में निवास करने से रोकना, और (घ) उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न करना। इन अपराधों के लिए सजा छह महीने और दो वर्ष के बीच की है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (एनसीटी): एनसीटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे : (A) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री (अध्यक्ष), (B) सामाजिक न्याय राज्य मंत्री (सह अध्यक्ष), (C) सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव, और (D) स्वास्थ्य, गृह मामलों, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि। अन्य सदस्यों में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के पांच विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, विधान और योजनाएं बनाने एवं उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी। यह ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों का निवारण भी करेगी।

7. LGBTQ तथा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों से संबंधित योजनाएं व शिक्षक के दायित्वों की जानकारी

शिक्षकों का एक ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** बच्चों के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व है जैसे –

1. तृतीय लिंग समुदाय या ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** विद्यार्थियों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिये।
2. यदि किसी बच्चे का व्यवहार उसके जन्मजात लिंग के अनुरूप नहीं है तो उसकी पहचान तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर के रूप में सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह यदि किसी बच्चे की यौनिकता अलग है तो भी इसकी गोपनीयता को तब तक रखी जानी चाहिए जब तक की वह स्वयं के द्वारा खुद को न प्रमाणित कर दे।
3. ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** बच्चों के प्रत्येक गतिविधियों का अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करते रहना चाहिए ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव या हिंसा ना हो सके।
4. ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** व बालिकाओं के लिए स्कूल व संस्था में भेदभाव निगरानी समिति का गठन किया जाए।
5. यदि कोई विद्यार्थी स्वयं को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रमाणित करता है तो ऐसे ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का समूह बनाना जाए।
6. पुस्तकालयों में ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** मुद्दों पर पुस्तकें रखा जाना चाहिए तथा स्टाफ एवं छात्रों को फिल्म के माध्यम से संवेदीकृत करना चाहिए।
7. ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** बच्चों को भी कैरियर गाइडेंस प्रदान करना चाहिए।
8. व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कदम उठाए जाना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** वर्ग समाज में अपने सम्मान एवं स्थान को पुनः प्राप्त कर सके।
9. स्कूली शिक्षा विभाग के समस्त योजनाओं से हितग्राही ट्रांसजेंडरों तथा **LGBTQ** को जोड़ना चाहिए।
10. बच्चों के भांति ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** बच्चों को भी खेलकूद या अन्य गतिविधियों में संलग्न करना।
11. यदि कोई विद्यार्थी स्वयं को सार्वजनिक रूप से ट्रांसजेंडर तथा **LGBTQ** प्रमाणित करता है तो उसे पूछना चाहिए कि क्या उसके परिवार के साथ काउंसलिंग की आवश्यकता है और यदि वह विद्यार्थी हां कहता है तो उसके परिवार के लोगों की काउंसलिंग भी शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए।



CHHATTISGARH MITWA SANKALP SAMITI (CBO)



Chhattisgarh Mitwa Sankalp Samiti (CMSS) is the first transgender community-based organization of Chhattisgarh, registered in 2009 under the Chhattisgarh Society Registration Act 1975. The organization has been working in the area of Transgender rights and welfare for last 14 years, The organization's mission is to empower Transgender Persons through awareness, livelihood support and education, Over the last few decades, the organization has been working on empowering transgender persons forced into beggary and prostitution by finding new livelihood activities through training and capacity building in various skills sets, Mitwa Samiti is also running a shelter home (Garima Greh Project) for transgender people in Chhattisgarh and providing unique transgender identity cards to transgender person.

**ADDRESS - TRANSGENDER SHELTER HOME, OPPOSITE KRISHNA PUBLIC
SCHOOL, SARONA
RAIPUR, DIST – RAIPUR, CHHATTISGARH (4920101)**

CURRENT RUNING PROJECT



GARIMA GREH, RAIPUR



SUPPORTED BY - NATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL DEFENSE UNDER MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Vision: The purpose of the Shelter Home is to provide shelter to Transgender persons, with basic amenities like shelter, food, medical care and recreational facilities. Besides, it will provide support for the capacity-building/skill development of persons in the Community, which will enable them to lead a life of dignity and respect.

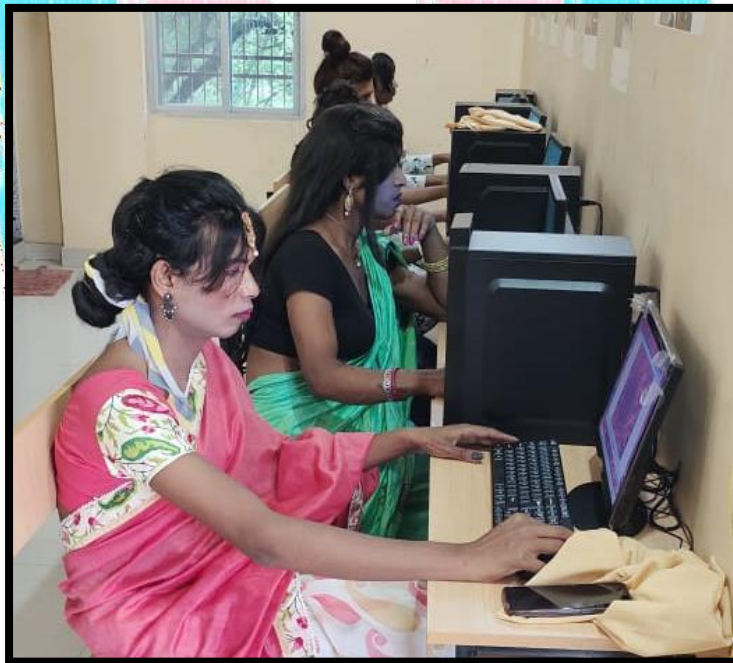
Mission: The project aims to stop everyday discrimination against transgender community and to provide safe and inclusive space live and learn skill development programs. It also aims for advocacy for equal representation in various sectors such as education, employment, and to provide required healthcare facilities to transgender persons.

Values: To support people from transgender community to live their life with basic respect and dignity. To claim and exercise all human rights that they have been kept away from since so long. Apart from this the project's core value is to equip transgender people with various skill development programs, trainings which would help them in becoming financially independent.

OUR MILESTONES

STUDENT'S SELECTION IN CHHATTISGARH POLICE DEPARTMENT

13 of our students are selected as constables and 9 are selected as Bastar Fighter by Chhattisgarh State Police Department, we provided them Training, Counseling and prepare them for written examination etc. we also provided them shelter, nutrition and training through linkages with different resource person during their preparation for physical and written examination.



Empowering community through developing their skill in Computer Education

STUDENTS SELECTION IN TATA STEEL, JAMSHEDPUR

7 of our students are recruited by Tata Steel, Jamshedpur in which they are working in Different Branches, we provided them shelter, nutrition and educational classes during their preparation as well as we also prepare them for their interview.



AWARENESS PROGRAMME WITH DIFFERENT STAKEHOLDERS

Our organization also focus to provide awareness among different stakeholders where we give them information about the problems that transgender community is facing as well as we also try to aware them about transgender rights so that we can give them a perspective about what a transgender can achieve if we give them equal opportunities, till now we have conducted more than 1000 awareness programs with different stakeholders such as Police, District Administration, Block Administration, Training Centers, District Panchayat, Hotel Administration, Tourist Administration, Education Department etc.





Forklift Operator, Vedanta (BALCO), Korba



7 Transgender Recruited in G4S Security, Vedanta, Jharsugudda



VISIT BY REPRESENTATIVES FROM AMERICAN AMBASSY



CAPACITY BUILDING OF TRANSGENDER BY DEVELOPING THEIR SKILL IN SEWING & TAILORING



SENSITIZATION AWARENESS WORKSHOP ON TRANSGENDER ACT 2019 AND RULES 2020

Supporting Partners



National Institute of Social Defence – It was set up originally as the Central Bureau of Correctional Services in 1961, under the Ministry of Home Affairs, in pursuance of the recommendations emerging at various National Forums. In 1964, the Bureau was transferred to the then Department of Social Security.

Review the policies and program in the field of social defence, Anticipate and diagnose the problems in the field of social defence, develop preventive, curative and rehabilitative policies in the field, Identify and develop the instruments for realizing the objectives of social defence policies, Review and evaluate the implementation of social defence policies and program, Develop and promote voluntary efforts in social defence



Raipur Municipal Corporation- The Chhattisgarh state government established Raipur Nagar Nigam. Mining industries and agriculture are the main occupation of the city. Rice is the main crop of Raipur and it is famous for the extensive availability of different types of coal and minerals. Because of cheap cost of labors, the city is a good location for establishing industries. Good community services are necessary for such kind of large-scale advancements, Raipur Municipal Corporation's support is considered to be the foundation of Garima Greh as the housing infrastructure where Garima Greh is providing shelter to Transgender community has been built by Raipur Municipal Corporation. Raipur Municipal Corporation has not only provided building for Shelter Home but has also provided housing facilities to individual transgender person.



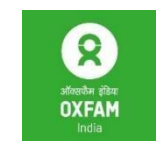
Goonj Foundation - Goonj envisions to grow as an idea across regions, economies and countries using urban discard as a tool to alleviate poverty and enhance the dignity of the underprivileged people of the world. Address basic but neglected issues of the poor by involving them in evolving their own solutions with dignity and urban material as reward. <https://gooni.org/> The support provided by the Goonj Foundation has been remarkable. Goonj Foundation has provided the residents of Garima Greh with basics and most important necessities such as Dry Ration, Clothes, Shoes Slippers.



Social Work Department - The responsibility of the Social Welfare Department is to provide social security to the person and to benefit such sections of society which are in trouble due to physical, mental, social, economic or any other reason. Social Welfare Department is implementing various schemes and programmes for the welfare of persons such as senior citizens, disabled persons, widows and deserted women, juvenile in conflict with law and child expecting sitting support.



Lead India- LEAD India (Leadership for Environment and Development) is a unique, live, evergrowing, national and international network of professionals, known as 'fellows' committed to development that is environmentally sustainable, socially equitable and economically viable. Lead India has played a very significant role in our journey of equipping all transgender residents of Garima Greh with English Speaking and Computer Skills by sponsoring the trainers hired for the courses.



Oxfam India- Oxfam India is a movement of people and grassroots organizations working together to stop the rising inequality in the country that keeps wealth concentrated in the hands of a few. We work to ensure equitable distribution of wealth and resources to all, <https://www.oxfamindia.org/> Oxfam India has supported the residents of Garima Greh with one of the very crucial services. Oxfam organized a health camp for primary health care check-up for residents of Garima Greh in December, 2021.



The Humsafar Trust (HST) was founded in April 1994 by journalist Ashok Row Kavi, media professional Suhail Abbasi and filmmaker Sridhar Rangayan, to reach out to LGBTQ communities in Mumbai Metro and surrounding areas. After much networking and advocacy with the Mumbai Municipal Corporation it became the first openly Gay Community Based Organization to be allotted space in a Municipal building in Mumbai.



Patricio Manuel
American Boxer



Laxminarayan Tripathi
Indian Social Activist



Sara Gill
Pakistani Doctor



Shabnam Mausi
Indian, Ex- MLA



Jamie Wallis
United Kingdom, MP



Adom Harry
Indian Flight Pilot



Dr. Aqsa Shaikh
Indian Doctor



Sophie Xeon
Scottish Musician

